राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः विप0–3/(दु0आ0नियमा0–297)/2019– 934 दिनांक 14.02.2019

समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन),
मण्डी परिषद, उ0प्र0।

विषयः–बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत निर्मित विशिष्ट मण्डी स्थलों के दुकानों के आवंटन एवं संचालन हेतु वर्तमान में प्रभावी आवंटन विनियमावली–2016(यथासंशोधित)के प्राविधानों मे छूट देने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0 के मा0 संचालक मण्डल की 155वीं बैठक दिनांक 24.07.2018 के मद संख्याः 20 पर निम्नवत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया–

मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के "आवंटन विनियमावली–2016 (द्वितीय संशोधन)–2018"

1. **प्रारम्भिकः–संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ**–यह विनियमावली, उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों/उप मण्डी स्थलों/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के"आवंटन सम्बन्धी विनियमावली (द्वितीय संशोधन)–2018" कही जायेगी तथा यह विनियमावली जारी किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–विनियम–11. आवंटन की अन्य आपवादिक व्यवस्थएं का संशोधन– उक्त विनियमावली के विनियम–11 उप विनियम –11(4)(6) के पश्चात निम्नलिखित उपविनियम बढा दिया जायेगा, अर्थातः–

11(5)– बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों– ललितपुर, झाँसी (भोजल–भरारी) बॉदा, चित्रकूट (कर्वी), हमीरपुर (भरूआसुमेरपुर) महोबा (चरखारी) एवं जालौन (उरई) में निर्मित "विशिष्ट मण्डी स्थल" में निर्मित दुकानों/गोदामों के आवंटन एवं संचालन हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में निम्न समिति होगी–

1. मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2. सम्बधित जिलाधिकारी	सदस्य
3. उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), झाँसी सम्भाग	सदस्य/संयोजक
4. सम्बन्धित उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद,	सदस्य
5. सम्बन्धित सभापति, मण्डी समिति	सदस्य
6. सम्बन्धित सचिव, मण्डी समिति	सदस्य

उपरोक्त गठित समिति को स्थानीय स्थितियों–परिस्थितियों के अनुसार विशिष्ट मण्डी स्थलों में निर्मित दुकानों/गोदामों के आवंटन हेतु प्रकिया एवं शर्ते निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तदनुसार ही इन विशिष्ट मण्डी स्थलों में दुकानों/गोदामों का आवंटन पूर्व से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा कराया जायेगा।

मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह निर्णय भी लिया गया है कि मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को निर्णय लेने हेतु मण्डी परिषद द्वारा विस्तृत गाईड

लाइन तैयार कर शासन के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रेषित की जाय। तद्नुसार मा0 संचालक मण्डल की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

मा0 संचालक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अस्थानान्तरित मण्डियों को जिला प्रशासन के सहयोग से निर्मित मण्डी स्थलों/उपमण्डी स्थलों में विशेष अभियान चलाकर स्थानान्तरित कराया जाय।"

मा0 संचालक मण्डल द्वारा लियें गये उक्त निर्णय के क्रम में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत निर्मित विशिष्ट मण्डी स्थलों की परिसम्पत्तियों यथा दुकान एवं गोदाम आदि के आवंटन एवं संचालन के सम्बन्ध में शासन द्वारा अनुमोदित गाईड लाइन अलग से सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रेषित की जा रही है। अतएव निर्देशित किया जाता है कि मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।

14.02.19

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर निदेशक (प्रशासन)

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि–अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मण्डलायुक्त, झाँसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
4– गार्ड पत्रावली।

14.02.19

अपर निदेशक (प्रशासन)

(उ०आ०)

①

①

M-18

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः विप0–3/(दु0आ0नियमा0)/2018– 464 दिनांक 27.8. 2018

समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन),
मण्डी परिषद, उ0प्र0।

विषयः– मण्डी/ उपमण्डी स्थल/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित **नीलामी चबूतरों के आवंटन को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक शीर्षक के अन्तर्गत राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0 के मा0 संचालक मण्डल की 155वीं बैठक दिनांक 24.07.2018 में मद संख्याः 21 पर निम्नवत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया–

मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के "आवंटन विनियमावली–2016 (द्वितीय संशोधन)–2018"

1. प्रारम्भिकः–संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ–यह विनियमावली, उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों/उप मण्डी स्थलों/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के "आवंटन सम्बन्धी विनियमावली(द्वितीय संशोधन)–2018" कही जायेगी तथा यह विनियमावली जारी किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2 विनियम–12. खुले स्थान का उपयोग का संशोधन– उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम–12 (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप विनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम–12(1)	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा संशोधित विनियम–12(1)
सार्वजनिक स्थान यथा नीलामी चबूतरे के पार्श्व का भाग, पार्किंग, सड़क, शौचालय, विश्रामगृह आदि किसी भी दशा में आवंटित नहीं किये जायेंगे।	सार्वजनिक उपयोग के स्थान यथा नीलामी चबूतरा एवं उसके आस–पास का भाग, पार्किंग, सड़क, एवं सड़क से संलग्न स्थान, शौचालय, विश्रामगृह आदि किसी भी दशा में किसी भी व्यापारी अथवा लाईसेन्सी को आवंटित नहीं किये जायेंगे। इसका उल्लंघन सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा कदाचार माना जायेगा एवं तदनुसार सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह निर्णय भी लिया गया कि भविष्य के लिए ऐसे आवंटनों को सामान्यतः हतोत्साहित किया जाए किन्तु पूर्व में ऐसे हुए आवंटनों का वस्तुस्थिति का आंकलन करने के उपरान्त ही एक रणनीति बनाकर इस प्रकार से हटाया जाय कि मण्डी समिति में होने वाले व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और कृषकों को भी कोई असुविधा न हो।

अतएव निर्देशित किया जाता है कि मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

27.8.18

(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि– अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।

निदेशक

(2)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः विप0–3/(दु0आ0नियमा0)/2018– 1071 : दिनांक 22-03-2018

समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन),
मण्डी परिषद, उ0प्र0।

विषयः– मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/ गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के "आवंटन विनियमावली (प्रथम संशोधन)–2018"

अवगत कराना है कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0, के मा0 संचालक मण्डल की 154वीं बैठक दिनांक 18.01.2018 में मद संख्याः 15 पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर मा0 संचालक मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया हैः–

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही/निर्णय
15	मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के "आवंटन विनियमावली –2016" में संशोधन का प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि आवन्टन नीलामी के माध्यम से किया जाए।

अतएव मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के कम में मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के "आवंटन विनियमावली (प्रथम संशोधन)–2018" की प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आवंटन विनियमावली– 2016 एवं सपठित आवंटन विनियमावली (प्रथम संशोधन)–2018" के अनुसार आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

संलग्नकः यथोपरि।

(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि– अधोलिखित को "आवंटन विनियमावली (प्रथम संशोधन)–2018" की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ ।

21.3.18
निदेशक

मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के "आवंटन विनियमावली (प्रथम संशोधन)–2018"

1. प्रारम्भिक:–

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ–यह विनियमावली, उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों/उप मण्डी स्थलों/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के "आवंटन सम्बन्धी विनियमावली(प्रथम संशोधन)–2018" कही जायेगी तथा यह विनियमावली जारी किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. **विनियम–3 परिभाषायें में संशोधन**– उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप विनियम (10) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात

स्तम्भ–1 विद्यमान उपविनियम(10)	स्तम्भ–2 एतदद्वारा संशोधित उपविनियम(10)
"नीलामी" का तात्पर्य आवंटन की उस प्रक्रिया से है, जिनमें किसी इच्छुक आवेदक द्वारा मण्डी समिति के कोष में सम्पत्ति हेतु निर्धारित पंजीकरण की धनराशि जमा करने सहित पात्रता प्राप्त की हो तथा सम्पत्ति विशेष के लिए खुली बोली में सम्मिलित होने को सहमत हो,जिसमें सबसे ऊंची बोली बोलने वाले आवेदक के पक्ष में सम्पत्ति को आवंटित करने का अन्तिम निर्णय लिया जा सके। पात्र आवेदकों द्वारा औपचारिकताऍं पूर्ण करके दुकान/गोदाम का आवंटन अपनें पक्ष में कराने के लिए आवंटन समिति के समक्ष खुली प्रतिस्पर्धा करते हुए धनराशि की बोली लगाई जाएगी।	"नीलामी" का तात्पर्य आवंटन की उस प्रक्रिया से है, जिनमें किसी इच्छुक आवेदक द्वारा मण्डी समिति के कोष में सम्पत्ति हेतु निर्धारित पंजीकरण की धनराशि जमा करने सहित पात्रता प्राप्त की हो तथा सम्पत्ति विशेष के लिए खुली बोली में प्रत्यक्ष रूप से/ ऑन लाईन माध्यम से सम्मिलित होने को सहमत हो, जिसमें सबसे ऊंची बोली बोलने वाले आवेदक के पक्ष में सम्पत्ति को आवंटित करने का अन्तिम निर्णय लिया जा सके। पात्र आवेदकों द्वारा औपचारिकताऍं पूर्ण करके दुकान/गोदाम का आवंटन अपने पक्ष में कराने के लिए आवंटन समिति के समक्ष उपस्थित होकर/ऑन लाईन माध्यंम से खुली प्रतिस्पर्धा करते हुए धनराशि की बोली लगाई जाएगी।

3. **विनियम–5 में संशोधन**– उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप विनियम (05) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान उपविनियम(05)	स्तम्भ–2 एतदद्वारा संशोधित उपविनियम(05)
जिलाधिकारी, न्यूनतम् प्रीमियम की धनराशि को परिस्थितियों के आधार पर बढ़ा सकेगें परन्तु यदि निर्धारित नीलामी प्रक्रिया में न्यूनतम् प्रीमियम पर बोली नहीं आती है, तो आवंटन स्थगित कर पुनः व्यापक	जिलाधिकारी, न्यूनतम् प्रीमियम की धनराशि को परिस्थितियों के आधार पर बढ़ा सकेगें परन्तु यदि निर्धारित नीलामी प्रक्रिया में न्यूनतम् प्रीमियम पर बोली नहीं आती है, तो आवंटन

(राजपति यादव)

प्रचार–प्रसार करके दोबारा नीलामी करायी जायेगी। इस प्रकार यदि तीन बार न्यूनतम् प्रीमियम पर बोली नहीं आती है तब जिलाधिकारी द्वारा न्यूनतम् प्रीमियम की धनराशि को 25 प्रतिशत तक शिथिल करने का निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार की शिथिलता प्रदान करने के उपरान्त भी यदि तीन बार की नीलामी में भी संशोधित न्यूनतम् प्रीमियम की बोली नहीं आती है तब मण्डी समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा न्यूनतम् प्रीमियम की धनराशि में अधिकतम 50 प्रतिशत तक शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।	स्थगित कर पुनः व्यापक प्रचार– प्रसार करके दोबारा नीलामी करायी जायेगी। इस प्रकार यदि तीन बार न्यूनतम् प्रीमियम पर बोली नहीं आती है तब मण्डी समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा न्यूनतम् प्रीमियम की धनराशि में 25 प्रतिशत तक शिथिलता प्रदान कर समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवंटन कार्यवाही नीलामी के माध्यम से की जाएगी।

4. **विनियम–9. नीलामी की प्रकिया एवं आवंटन में संशोधन**– उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप विनियम (2) एवं (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप विनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपविनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा संशोधित उपविनियम
उपविनियम (2) नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु रू0 250.00 का नगद भुगतान करके मण्डी समिति से आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण सूचना सहित इसे मण्डी समिति कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।	उपविनियम (2) नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु रू0 250.00 का नगद अथवा **ऑन लाइन** भुगतान करके मण्डी समिति से आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण सूचना सहित इसे मण्डी समिति कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।
उपविनियम(3) नीलाम की जाने वाली दुकान/गोदाम के सम्बन्ध में सूचना मण्डी समिति द्वारा दो दैनिक समाचार पत्रों मे नीलामी की तिथि से कम से कम 21 दिन पूर्व प्रकाशित करायी जायेगी, जिसमें रिक्त सम्पत्ति के आरक्षण की स्थिति का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। आवेदन जमा करने हेतु 10 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। 10 दिन में प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच हेतु 03 दिवस का समय निर्धारित रहेगा। तत्पश्चात प्राथमिक जॉचोपरान्त पात्र पाये गये आवेदकों की अन्तिम पात्रता सूची समिति के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी एवं उक्त आवेदन–पत्रों पर आपत्तियॉ आमंत्रित की जायेगी। इस हेतु 03 दिनों	उपविनियम(3) नीलाम की जाने वाली दुकान/गोदाम के सम्बन्ध में सूचना मण्डी समिति द्वारा दो दैनिक समाचार पत्रों में **एवं मण्डी परिषद की वेब–साइड पर** नीलामी की तिथि से कम से कम 21 दिन पूर्व प्रकाशित करायी जायेगी, जिसमें रिक्त सम्पत्ति के आरक्षण की स्थिति का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। आवेदन जमा करने हेतु 10 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। 10 दिन में प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच हेतु 03 दिवस का समय निर्धारित रहेगा। तत्पश्चात प्राथमिक जॉचोपरान्त पात्र पाये गये आवेदकों की अन्तिम पात्रता सूची समिति के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी एवं **मण्डी परिषद की वेब–साइड पर**

(राजपति यादव)
अनुभाग अधिकारी

की अवधि निर्धारित रहेगी। आपत्तियों के निस्तारण हेतु एक समिति होगी जिसमें उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) अध्यक्ष एवं सभापति और सचिव, मण्डी समिति सदस्य होंगे। इस समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 03 दिन में करते हुए, तैयार अंतिम पात्रता सूची नोटिस बोर्ड पर नीलामी की तिथि से कम से कम 02 दिन पूर्व चस्पा की जायेगी। यह सूची मण्डी परिषद की वेब–साइट पर भी अपलोड की जायेगी और इस आशय की सूचना कि अन्तिम पात्रता सूची नोटिस बोर्ड एवं मण्डी परिषद की वेब–साइट पर उपलब्ध है, दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।	अपलोड की जाएगी तथा उक्त सूची पर आपत्तियाँ आमंत्रित की जायेगी। इस हेतु 03 दिनों की अवधि निर्धारित रहेगी। आपत्तियों के निस्तारण हेतु एक समिति होगी, जिसमें मण्डी समिति के सभापति–अध्यक्ष तथा सचिव, मण्डी समिति व सभापति द्वारा मण्डी समिति का नामित एक कार्मिक सदस्य होंगे। इस समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 03 दिन में करते हुए, तैयार अन्तिम पात्रता सूची नोटिस बोर्ड पर नीलामी की तिथि से कम से कम 02 दिन पूर्व चस्पा की जायेगी। यह सूची मण्डी परिषद की वेब–साइट पर भी अपलोड की जायेगी और इस आशय की सूचना कि अन्तिम पात्रता सूची नोटिस बोर्ड एवं मण्डी परिषद की वेब–साइट पर उपलब्ध है, दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

5– विनियम 11. आवंटन की अन्य आपवादिक व्यवस्थाएं का संशोधन– उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा अर्थात

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा संशोधित विनियम
(1) भारत सरकार, राज्य सरकार के सरकारी व अर्ध सरकारी विभाग तथा सार्वजनिक उपकमों को उनकी माँग पर, दुकान/गोदाम/अन्य छायादार या खुला स्थान उपलब्ध होने पर बिना नीलामी के, उप निदेशक (प्र0/वि0), सभापति व सचिव की समिति द्वारा आंवटित किया जा सकेगा। इस हेतु उन्हें कोई प्रीमियम की धनराशि नहीं देनी होगी, किन्तु यूजर चार्ज/किराया अग्रिम मासिक के रूप से देय होगा। यूजर चार्ज/किराया का निर्धारण समय–समय पर निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।	(1) भारत सरकार, राज्य सरकार के सरकारी व अर्ध सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपकमों तथा पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) को उनकी माँग पर, दुकान/गोदाम/अन्य छायादार या खुला स्थान उपलब्ध होने पर बिना नीलामी के, उप निदेशक (प्र0/वि0), सभापति व सचिव की समिति द्वारा आंवटित किया जा सकेगा। इस हेतु उन्हें कोई प्रीमियम की धनराशि नहीं देनी होगी, किन्तु यूजर चार्ज/किराया अग्रिम मासिक के रूप से देय होगा। यूजर चार्ज/किराया का निर्धारण समय–समय पर निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

(राजपति यादव)
अनुभाग अधिकारी

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

दूरभाष :0522–2720383, 384,405,137,138,139 फैक्स :0522–2720056

E-Mail : mandipar@hotmail.com Website : www.upmandiparishad.in

पत्रांक: विपणन–3 / दु0आ0 नि0मा0 / 2016– 2775   दिनॉक: 29 जुलाई, 2016

समस्त उपनिदेशक (प्रशा0 / विप0)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश।

विषय :–मण्डी स्थल / उपमण्डी स्थल / कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0) / ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों / गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के आवंटन विनियमावली–2016

अवगत कराना है कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 के मा0 संचालक मण्डल की 150वीं बैठक दिनॉक 03.6.2016 में मद संख्या– 32 (अ) में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर मा0 संचालक मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है:–

मद संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
32 (अ)	मण्डी परिषद / मण्डी समितियों द्वारा निर्मित दुकानों, गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के आंवन्टन सम्बन्धी प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

2. अतएव मा0 संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित संदर्भित विनियमावली–2016 की छायाप्रति संलग्नकर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि अब दुकानों का आवंटन इस विनियमावली के प्राविधानानुसार ही कराया जाय। कृपया विनियमावली की प्रतियॉ अपने संभाग की मण्डी समितियों को अपने स्तर से उपलब्ध करांना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोपरि।

(डा0 अनूप यादव)
मण्डी निदेशक

मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के "आवंटन विनियमावली–2016"

1. प्रारम्भिक :

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ ; यह विनियमावली "उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों/उपमण्डी स्थलों/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के आवंटन सम्बन्धी विनियमावली–2016" कहलायेगी तथा यह विनियमावली जारी किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2. उद्देश्य :

इसका उद्देश्य मण्डी समितियों के निर्मित मण्डी स्थलों/उपमण्डी स्थलों/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) की दुकानों/गोदामों एवं अन्य परिसम्पत्तियों के आवंटन को विनियमित करना होगा।

3. परिभाषायें :

जब तक प्रसंग या विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमों में :–

(1) **"अधिनियम"** का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964" से है।

(2) **"नियमावली"** का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965" से है।

(3) **"परिषद"** का तात्पर्य राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश से है।

(4) **"मण्डी निदेशक"** का तात्पर्य निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश से है।

(5) **"मण्डी समिति"** का तात्पर्य सम्बन्धित कृषि उत्पादन मण्डी समिति से है।

(6) **"सम्पत्ति"** का तात्पर्य दुकान/गोदाम/कैण्टीन/कृषक सेवा केन्द्र/बैंक भवन/डाकघर/चिकित्सालय/जन सेवा केन्द्र/मिल्क बूथ/पुलिस चौकी एवं नीलामी चबूतरा आदि से है।

(7) **"आवंटन समिति"** का तात्पर्य मण्डी परिषद द्वारा दुकान/गोदाम एवं उक्त सम्पत्तियों के आवंटन हेतु गठित समिति से है।

(8) **"आरक्षण"** का तात्पर्य आरक्षित वर्ग को वैधानिक रूप से प्रदत्त अधिकार से है।

(9) **"टोकन"** का तात्पर्य नीलामी प्रकिया में भाग लेने हेतु अनुज्ञा से है।

(10) **"नीलामी"** का तात्पर्य आवंटन की उस प्रकिया से है, जिनमें किसी इच्छुक आवेदक द्वारा मण्डी समिति के कोष में सम्पत्ति हेतु निर्धारित पंजीकरण की धनराशि जमा करने सहित पात्रता प्राप्त की हो तथा सम्पत्ति विशेष के लिए खुली बोली में सम्मिलित होने को सहमत हो, जिसमें सबसे ऊंची बोली बोलने वाले आवेदक के पक्ष में सम्पत्ति को आवंटित करने का अन्तिम निर्णय लिया जा सके। पात्र आवेदकों द्वारा औपचारिकताएँ पूर्ण करके दुकान/गोदाम का आवंटन अपने पक्ष में कराने के लिए आवंटन समिति के समक्ष खुली प्रतिस्पर्धा करते हुए धनराशि की बोली लगाई जाएगी।

(11) **"आवेदक"** का तात्पर्य ऐसे पात्र व्यक्ति से है जिसने निर्धारित पंजीकरण की धनराशि मण्डी समिति के कोष में जमा करने सहित नीलामी की कार्यवाही में सम्मिलित होने की

(स) व्यक्ति के अतिरिक्त पंजीकृत संस्था/फर्म/कम्पनी/नामित प्रतिनिधि भी नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाला प्रतिनिधि उक्त संस्था/फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत होना चाहिए। डीड/मेमोरेण्डम व आर्टिकल आफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

(द) आवेदक को सम्बन्धित मण्डी समिति से पूर्व से ही कोई दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए। परन्तु पात्रता होने पर दुकान परिवर्तन हेतु वह नीलामी में भाग ले सकेगा, जिसमें आवंटन उपरान्त पूर्व आवंटित दुकान रिक्त करनी होगी, जिसके फलस्वरूप उसके पूर्व के प्रीमियम को समायोजित किया जायेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पूर्व के प्रीमियम की धनराशि नीलामी की बोली से अधिक होने की दशा में प्रीमियम समायोजन उपरान्त कोई धनराशि वापिस नहीं की जायेगी। गोदाम का आवंटन, दुकान के साथ-साथ अथवा अलग से भी किया जा सकता है। एक व्यक्ति/फर्म को एक से अधिक गोदाम भी आवंटित किये जा सकते हैं परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि किसी भी व्यक्ति/फर्म को किसी भी दशा में दो से अधिक गोदाम का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। गोदाम का उपयोग केवल निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के भण्डारण कार्यों हेतु ही किया जायेगा।

(ध) मण्डी स्थल की विभिन्न श्रेणी की दुकानों के आवंटन हेतु श्रेणीवार पात्रता का निर्धारण, लाइसेन्सधारी व्यापारियों द्वारा विगत तीन वर्ष में जमा किये गये मण्डी शुल्क के औसत अथवा टर्नओवर की मात्रा के आधार पर निम्नवत् होगी:-

गल्ला मण्डी			फल मण्डी		
1.	रू0 80 हजार से अधिक औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 60 लाख से अधिक हो।	'अ' श्रेणी	1.	रू0 40 हजार से अधिक औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 20 लाख से अधिक हो।	'अ' श्रेणी
2.	रू0 40 हजार से 80 हजार औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 60 लाख से कम एवं 25 लाख से ऊपर हो	'ब' श्रेणी	2.	रू0 20 हजार से अधिक परन्तु 40 हजार से कम औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 20 लाख से कम एवं 10 लाख से अधिक।	'ब' श्रेणी
3.	रू0 40 हजार औसत मण्डी शुल्क से कम अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 25 लाख से कम हो।	'स' श्रेणी	3.	रू0 20 हजार से कम औसत मण्डी शुल्क से कम अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 10 लाख से कम हो।	'स' श्रेणी

परन्तु यदि किसी लाइसेन्सी द्वारा तीन वर्ष से कम अवधि में व्यवसाय किया गया है तो उसके द्वारा जमा किये गये मण्डी शुल्क को पात्रता निर्धारण हेतु तीन से विभाजित करके औसत की गणना की जाएगी।

(ड) "अ" एवं "ब" श्रेणी की दुकानों के आवंटन हेतु तैयार की गयी पात्र आवेदकों की सूची में पर्याप्त आवेदक उपलब्ध न होने की स्थिति में "स" श्रेणी के पात्र आवेदकों को भी इस आवंटन प्रकिया में शामिल किया जा सकेगा। "स" श्रेणी की दुकानों के आवंटन में "अ" एवं "ब" श्रेणी की दुकानों के लिए पात्र आवेदक भी प्रतिभाग कर सकेंगें।

(स) व्यक्ति के अतिरिक्त पंजीकृत संस्था/फर्म/कम्पनी/नामित प्रतिनिधि भी नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाला प्रतिनिधि उक्त संस्था/फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत होना चाहिए। डीड/मेमोरेण्डम व आर्टिकल आफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

(द) आवेदक को सम्बन्धित मण्डी समिति से पूर्व से ही कोई दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए। परन्तु पात्रता होने पर दुकान परिवर्तन हेतु वह नीलामी में भाग ले सकेगा, जिसमें आवंटन उपरान्त पूर्व आवंटित दुकान रिक्त करनी होगी, जिसके फलस्वरूप उसके पूर्व के प्रीमियम को समायोजित किया जायेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि पूर्व के प्रीमियम की धनराशि नीलामी की बोली से अधिक होने की दशा में प्रीमियम समायोजन उपरान्त कोई धनराशि वापिस नहीं की जायेगी। गोदाम का आवंटन, दुकान के साथ–साथ अथवा अलग से भी किया जा सकता है। एक व्यक्ति/फर्म को एक से अधिक गोदाम भी आवंटित किये जा सकते हैं परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि किसी भी व्यक्ति/फर्म को किसी भी दशा में दो से अधिक गोदाम का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। गोदाम का उपयोग केवल निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के भण्डारण कार्यो हेतु ही किया जायेगा।

(ध) मण्डी स्थल की विभिन्न श्रेणी की दुकानों के आवंटन हेतु श्रेणीवार पात्रता का निर्धारण, लाइसेन्सधारी व्यापारियों द्वारा विगत तीन वर्ष में जमा किये गये मण्डी शुल्क के औसत अथवा टर्नओवर की मात्रा के आधार पर निम्नवत् होगी:–

गल्ला मण्डी			फल मण्डी		
1.	रू0 80 हजार से अधिक औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 60 लाख से अधिक हो।	'अ' श्रेणी	1.	रू0 40 हजार से अधिक औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 20 लाख से अधिक हो।	'अ' श्रेणी
2.	रू0 40 हजार से 80 हजार औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 60 लाख से कम एवं 25 लाख से ऊपर हो	'ब' श्रेणी	2.	रू0 20 हजार से अधिक परन्तु 40 हजार से कम औसत मण्डी शुल्क अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 20 लाख से कम एवं 10 लाख से अधिक।	'ब' श्रेणी
3.	रू0 40 हजार औसत मण्डी शुल्क से कम अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 25 लाख से कम हो।	'स' श्रेणी	3.	रू0 20 हजार से कम औसत मण्डी शुल्क से कम अथवा जिसका टर्न ओवर रू0 10 लाख से कम हो।	'स' श्रेणी

परन्तु यदि किसी लाइसेन्सी द्वारा तीन वर्ष से कम अवधि में व्यवसाय किया गया है तो उसके द्वारा जमा किये गये मण्डी शुल्क को पात्रता निर्धारण हेतु तीन से विभाजित करके औसत की गणना की जाएगी।

(ङ) "अ" एवं "ब" श्रेणी की दुकानों के आवंटन हेतु तैयार की गयी पात्र आवेदकों की सूची में पर्याप्त आवेदक उपलब्ध न होने की स्थिति में "स" श्रेणी के पात्र आवेदकों को भी इस आवंटन प्रकिया में शामिल किया जा सकेगा। "स" श्रेणी की दुकानों के आवंटन में "अ" एवं "ब" श्रेणी की दुकानों के लिए पात्र आवेदक भी प्रतिभाग कर सकेंगें।

(च) आरक्षणः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार होगा और आरक्षित सम्पत्ति की कम संख्या का निर्धारण सीधी नियुक्तियों में रोस्टर सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार किया जायेगा।

(छ) नीलामी में भाग लेने वाले आवेदक को अपने आवेदन–पत्र के साथ संबंधित सम्पत्ति के न्यूनतम प्रीमियम का दस प्रतिशत पंजीकरण धनराशि के रूप में समिति कोष में राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट/पे–आर्डर, जो "सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति" के पक्ष में देय हो, जमा करना होगा।

5. दुकान/गोदाम का नीलामी हेतु न्यूनतम प्रीमियम :

(01) क" विशिष्ट तथा "क" श्रेणी की मण्डियों के प्रधान मण्डी स्थल के लिए दुकान/गोदाम की निर्माण लागत के बराबर धनराशि न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि होगी।

(02) "ख" तथा "ग" श्रेणी की मण्डियों तथा समस्त उपमण्डी स्थलों के लिए दुकान/गोदाम की निर्माण लागत का 50 प्रतिशत धनराशि न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि होगी।

(03) ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिनै)/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0) के लिए दुकान की निर्माण/गोदाम की निर्माण लागत का 10 प्रतिशत धनराशि न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि होगी।

(04) सुपर मार्केट की दुकानों के लियें न्यूनतम प्रीमियम में दुकान निर्माण लागत एवं उसमें प्रयुक्त भूमि का मूल्य, जो जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक सर्किल दरों के आधार पर निर्माण शाखा द्वारा आगणित किया जायेगा, शामिल रहेगा।

(05) जिलाधिकारी, न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि को परिस्थितियों के आधार पर बढ़ा सकेगें परन्तु यदि निर्धारित नीलामी प्रकिया में न्यूनतम प्रीमियम पर बोली नहीं आती है, तो आवंटन स्थगित कर पुनः व्यापक प्रचार–प्रसार करके दोबारा नीलामी करायी जायेगी। इस प्रकार यदि तीन बार न्यूनतम प्रीमियम पर बोली नहीं आती है तब जिलाधिकारी द्वारा न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि को 25 प्रतिशत तक शिथिल करने का निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार की शिथिलता प्रदान करने के उपरान्त भी यदि तीन बार की नीलामी में भी संशोधित न्यूनतम प्रीमियम की बोली नहीं आती है तब मण्डी समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि में अधिकतम 50 प्रतिशत तक शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

6. यूजर चार्ज :

(01) समस्त श्रेणी की मण्डियों के प्रधान मण्डी स्थल एवं उपमण्डी स्थलों में निर्मित सभी श्रेणी की दुकानों/गोदामों की निर्माण लागत का 1.5 प्रतिशत धनराशि वार्षिक यूजर चार्ज के रूप में देय होगी; जिसमें प्रत्येक वर्ष 03 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। यह धनराशि अग्रिम रूप से वित्तीय वर्ष के आरम्भ में जमा की जाएगी। अग्रिम यूजर चार्जेज जमा न करने पर 01 प्रतिशत मासिक ब्याज देय होगा।

(02) समस्त श्रेणी की मण्डी समितियों के प्रधान मण्डी स्थल एवं उपमण्डी स्थलों में निर्मित सभी श्रेणी की ऐसी दुकानें/गोदाम, जिनका आवंटन मासिक किराये अथवा मासिक किराये एवं प्रीमियम के आधार पर होने के फलस्वरूप वर्तमान में जो दुकान/गोदाम किराये पर आवंटित है, उन्हें किरायेदारी व्यवस्था से उपरोक्तानुसार बिन्दु सं0–1 में उल्लिखित यूजर चार्ज व्यवस्था में शिफट होने का विकल्प प्रदान किया जाता है।

ऐसी दुकान की मूल निर्माण लागत की धनराशि यदि वह आवंटी किराये अथवा प्रीमियम या दोनों से जमा कर चुका है या एक मुश्त जमा कर देता है तो वर्तमान निर्माण लागत का 1.5 प्रतिशत यूजर चार्ज देने का विकल्प प्राप्त कर सकता है।

(03) ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र/कृषि विपणन केन्द्र की दुकानों के लिए मासिक यूजर चार्ज रू0 100.00 प्रतिमाह रहेगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष 03 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जायेगी।

7. आवंटन समिति :

दुकान/गोदाम के आवंटन हेतु आवंटन समिति निम्नवत् गठित होगी –

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी (यदि जिलाधिकारी आवंटन समिति की बैठक में स्वयं भाग नहीं लेते हैं तो उनके द्वारा नामित अधिकारी सदस्य होगा और उस स्थिति में सम्बन्धित संभाग के उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी होंगे।)
2. सम्बन्धित उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन)	सदस्य
3. सम्बन्धित उपनिदेशक (निर्माण)	सदस्य
4. सम्बन्धित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी	सदस्य
5. सम्बन्धित सभापति, मंडी समिति	सदस्य
6. सम्बन्धित सचिव, मण्डी समिति	सदस्य/संयोजक

प्रतिबन्ध यह होगा कि समय–समय पर आवंटित दुकानों के रिक्त होने पर अधिकतम 02 दुकानों के आवंटन हेतु निम्नलिखित समिति अधिकृत होगीः–

(1) सम्बन्धित उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)	अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी।
(2) सभापति, मण्डी समिति	सदस्य।
(3) सचिव, मण्डी समिति	सदस्य/सचिव।

प्रतिबन्ध यह है कि आवंटन प्रकिया में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं भाग न लिये जाने पर उक्त नीलामी कार्यवाही का अनुमोदन सभापति के माध्यम से जिलाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा।

8. सम्पत्ति में आरक्षण :

प्रधान मण्डी स्थलों/उपमण्डी स्थलों/रिन/ए0एम0एच0 की दुकानों/गोदामों के आवंटन में शासनादेश के अनुरूप निम्नानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगीः–

1.	अनुसूचित जाति	21 % (इक्कीस प्रतिशत)
2.	अनुसूचित जनजाति	02 %. (दो प्रतिशत)
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 % (सत्ताइस प्रतिशत)

नोटः– विकलांग आवेदकों का आरक्षण शासनादेश के अनुरूप 3 प्रतिशत अनुमन्य होगा, जो उनके सम्बन्धित वर्ग यथा–सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में से ही सुनिश्चित किया जायेगा। विकलांगजन को न्यूनतम प्रीमियम में 20 प्रतिशत तथा यूजर चार्ज में 50 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी। आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने की दशा में पुनः प्रचार–प्रसार करते हुए आवंटन का प्रयास किया जायेगा। इस प्रकार कम से कम तीन बार प्रयास किये जाने पर भी आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उ0प्र0 विधान मण्डल

(6) आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये विवरण पूर्णतया सत्य हैं तथा आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण की गयी हों। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रार्थना पत्र तथा सशर्त प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे। यदि किसी समय यह पाया गया कि किसी आवेदक ने गलत सूचना दी है या किसी तथ्य को छिपाया है तो उसका प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी। अग्रेत्तर यदि ऐसे आवेदक को कोई सम्पत्ति आवंटित हो गयी हो तो पंजीकरण तथा अन्य जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

(7) नीलामी में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकेगा।

(8) नीलामी प्रारम्भ होने पर सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी की सम्पत्ति की नीलामी करायी जायेगी। तत्पश्चात आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति की नीलामी करायी जायेगी। अनारक्षित श्रेणी की नीलामी में समस्त पात्र आवेदक ही भाग ले सकेंगे, जबकि आरक्षित श्रेणी में सम्बन्धित वर्ग के आवेदक ही भाग ले सकेंगे।

(9) पीठासीन अधिकारी किसी भी सम्पत्ति के सम्बन्ध में नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली को अपने विवेकानुसार स्वीकार करेंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्राप्त उच्चतम बोली न्यूनतम प्रीमियम से कम होने पर बोली को स्वीकार नहीं करेंगे। एकल बोली होने पर भी निस्तारण की दृष्टि से न्यूनतम प्रीमियम से अधिक की बोली आने पर उसको स्वीकृत करने का अधिकार आवंटन समिति में निहित होगा। एक व्यक्ति एक से अधिक सम्पत्ति हेतु नीलामी में बोली लगा सकता है, किन्तु यदि उसके द्वारा लगायी गयी बोली किसी सम्पत्ति के लिए उच्चतम बोली है, तो उसके पश्चात उसे अन्य सम्पत्ति में बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा। प्रत्येक सम्पत्ति की नीलामी फर्द अलग–अलग तैयार की जायेगी, जिस पर बोलीदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा उसे आवंटन समिति द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(10) नीलामी की कार्यवाही में प्राप्त की गयी उच्चतम बोली को पीठासीन अधिकारी अपने विवेकानुसार स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेंगे। पीठासीन अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। स्वीकृत बोलीदाता के द्वारा स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान आवंटन पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर न किये जाने पर उसके द्वारा जमा की गयी पंजीकृत धनराशि को जब्त करते हुए पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त मण्डी समिति द्वारा द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को आवंटन किया जा सकेगा।

(11) आवंटन पत्र निर्गत होने से 15 दिवस के अन्दर आवंटी को उसके द्वारा लगायी गयी बोली की 50 प्रतिशत धनराशि (पंजीकरण राशि सहित) जमा करने तथा अनुबंध करने के उपरान्त दुकान का कब्जा दे दिया जायेगा। तत्पश्चात आवंटन पत्र जारी होने के अधिकतम तीन माह के अन्दर अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। अधिकतम बोली बोलने वाले किसी भी आवंटी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने की स्थिति में नीलामी धनराशि में 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। आवंटी द्वारा नियत अवधि में अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जमा न करने की स्थिति में 01 प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ धनराशि जमा करते हुए 06 माह के अतिरिक्त समय दिये जाने की व्यवस्था होगी। इस अवधि में भी सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने की स्थिति में जमा समस्त धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

10. सामान्य शर्तें

(1) समिति द्वारा जो सम्पत्ति नीलाम की जायेगी, उसका उपयोग निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के व्यापार/भण्डार हेतु ही किया जायेगा।

(2) आवंटी द्वारा अनुबन्ध/पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में मण्डी समिति द्वारा नियमानुसार अनुबन्ध/पट्टे को निरस्त कर दुकान का कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा और जमा करायी गयी समस्त धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। मण्डी समिति द्वारा निर्देशित किये जाने पर नियत अवधि में आवंटी द्वारा दुकान का कब्जा मण्डी समिति को न सौंपे जाने की स्थिति में रू0 250.00 (रू0 दो सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से डैमरेज देय होगा।

(3) ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र/कृषि विपणन केन्द्र की दुकानों में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों सहित कृषि संबंधी अन्य व्यवसाय, जो प्रतिबन्धित (मदिरा, ज्वलनशील पदार्थ आदि) न हो भी किया जा सकेगा।

(4) समिति द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवंटी एवं समिति के मध्य आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में आवंटन शर्तों का एक अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा, जिसका समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। अनुबन्ध की अवधि अधिकतम 20 वर्ष तक होगी। एग्रीरिकल्चरल मार्केटिंग हब (AMH) की दुकानों के सम्बन्ध में अनुबन्ध की अवधि एम0ओ0यू0 के अवशेष अवधि के तुल्य होगी, जिसे भविष्य में एम0ओ0यू0 की अवधि बढ़ाये जाने पर बढ़ाया जा सकेगा।

(5) आवंटी स्थानीय निकाय (नगर निगम, जल संस्थान आदि) और केन्द्र व राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा लगाये गये किसी भी प्रकार के सभी करों/शुल्कों का भुगतान स्वयं करेगा।

(6) आवन्टित दुकानों/गोदामों के आवंटी को सम्पत्ति का बँटवारा करने, किराये पर दिये जाने, विक्रय अथवा हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा। परन्तु स्वामित्व वाले लाईसैंसी आवंटी की मृत्यु हो जाने अथवा अन्य कारणों से अपने कानूनी वारिसों को कारोबार सौंपने की स्थिति में तदनुसार उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का नाम मण्डी समिति के लाईसैंस में दर्ज कर दिया जायेगा, जिस/जिन पर समस्त नियम एवं शर्तें बाध्यकारी होंगी।

आवंटित सम्पत्ति में फर्म, कम्पनी तथा पंजीकृत संस्था के सम्बन्ध में नाम बढ़ाने के लिये प्रत्येक नये साझीदार से आरक्षित न्यूनतम प्रीमियम धनराशि का 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) अन्तरण शुल्क लिया जायेगा, परन्तु प्रत्येक दशा में मूल आवंटी अथवा उसका विधिक उत्तराधिकारी फर्म का भागीदार अवश्य रहेगा। अन्यथा स्थिति में इसे आवंटन शर्तों का उल्लंघन मानते हुए मण्डी समिति द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

परन्तु ए0एम0एच0/रिन/सुपर मार्केट की दुकानों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया जाता है तो हस्तान्तरण मण्डी समिति के प्रस्ताव पर मण्डी निदेशक की अनुमति से ही किया जायेगा। अनुमति दिये जाने हेतु लाभांश का 25 प्रतिशत मण्डी समिति को विक्रेता द्वारा देय होगा। लाभांश की धनराशि वास्तविक घोषित मूल्य अथवा वाणिज्यिक सर्किल रेट में जो अधिक हो, में से मूल प्रीमियम की अन्तर की धनराशि होगी।

आवंटी, आवंटित सम्पत्ति का प्रयोग समिति द्वारा अनुमन्य शर्तो एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुसार करेगा अन्यथा समिति को सम्पत्ति वापस लेनें तथा अन्य उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा। समिति द्वारा सम्पत्ति वापस लेने की दशा में उस पर किये गये अन्य व्यय आदि का मुआवजा मण्डी समिति आंवटी को देने के लिए बाध्य न होगी।

(7) आवंटन आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर आवंटी को कारोबार प्रारम्भ करना होगा। निर्धारित अवधि में कारोबार प्रारम्भ न करने की स्थिति में नीलामी/प्रीमियम की धनराशि का एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से पैनल्टी आवंटी को समिति कोष में जमा करानी होगी। तीन माह में कारोबार प्रारम्भ न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा समस्त जमा पंजीकरण धनराशि तथा प्रीमियम का 30 प्रतिशत जब्त कर ली जायेगी।

(8) मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में निर्मित दुकानों को विभिन्न क्षेत्रों यथा–खाद्यान्न क्षेत्र/फल सब्जी क्षेत्र /अन्य निर्दिष्ट कृषि उत्पाद क्षेत्र के रूप में मण्डी समिति द्वारा वर्गीकृत किया जा सकेगा, जिसमें परिवर्तन का अधिकार मण्डी समिति की संस्तुति पर निदेशक में निहित रहेगा।

(9) आवंटी को जिस कारोबार हेतु दुकान आवंटित की गयी है, उसे वही कारोबार करना होगा। गोदाम में केवल निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का भण्डारण कार्य ही किया जायेगा।

(10) आवंटी, दुकान/गोदाम में आवश्यकतानुसार इंटीरियर डेकोरेशन के अन्तर्गत रंगाई– पुताई, आन्तरिक फर्श, फाल्स सीलिंग, पैनलिंग, फर्नीचर, सुरक्षित विद्युत व्यवस्था आदि स्वयं के व्यय पर करा सकेगा। अग्निशमन उपकरण तथा दुकान के अन्दर रखे सामान का बीमा आवंटी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। किसी भी प्रकार की क्षति के लिये मण्डी समिति उत्तरदायी नहीं होगी।

(11) आवंटी द्वारा आवश्यक विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था स्वयं अपने व्यय पर करनी होगी।

(12) आवंटी को दुकान के अन्दर किसी भी प्रकार की सिविल संरचनाओं में तोड़–फोड़ एवं परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।

(13) मण्डी समिति को भविष्य में आवंटित दुकानों के ऊपर आवश्यकतानुसार अन्य तलों का निर्माण/परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आवंटी को दुकान के अन्दर बेसमेन्ट बनाने का अधिकार नहीं होगा।

(14) कॉमन एरिया यथा–खुला चबूतरा, छायादार चबूतरा, सड़क एवं सड़क से संलग्न स्थान इत्यादि का उपयोग सार्वजनिक होगा तथा आवंटी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा। अतिक्रमण पाये जाने पर आवंटी द्वारा मण्डी समिति की नोटिस के कम में एक सप्ताह मे अतिक्रमण दूर किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा यदि अतिक्रमण दूर किया जाता है तो आने वाले व्यय को आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। अतिक्रमण दूर करने में होने वाले व्यय को समिति कोष में आवंटी द्वारा जमा न करने पर मण्डी समिति नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करेगी तथा आवंटन शर्त का उल्लंघन मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(15) मण्डी समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप/डिजाइन एवं मानक के अनुसार ही होर्डिंग्स/दुकान की नाम पट्टिका लगाना होगा, जिससे एकरूपता बनी रहे।

(16) आवंटी द्वारा स्वेच्छा से व्यवसाय बन्द करके दुकान एवं लाईसेन्स को वापस (सरेन्डर) करने की स्थिति में उसके द्वारा जमा प्रीमियम की धनराशि का निम्न तालिका के अनुसार अंश में

धनराशि की कटौती करके शेष आवंटी को वापिस किया जा सकेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि आवंटन की शर्तो का उल्लंघन करने अथवा समिति द्वारा प्रदत्त लाईसेंस रद्द होने के फलस्वरूप यदि आवंटन निरस्त किया जाता है तो प्रीमियम राशि की कोई वापसी नहीं की जायेगी।

1—आवंटन के पश्चात एक वर्ष के अन्दर	50 प्रतिशत
2—एक वर्ष से अधिक एवं तीन वर्ष से कम	60 प्रतिशत
3—तीन वर्ष से अधिक एवं पॉच वर्ष से कम	70 प्रतिशत
4—पॉच वर्ष से अधिक एवं सात वर्ष से कम	80 प्रतिशत
5—सात वर्ष से अधिक एवं दस वर्ष से कम	90 प्रतिशत
6—10 वर्ष के पश्चात	100 प्रतिशत

किसी भी प्रकार की दैविक; प्राकृतिक आपदा यथा—भूकम्प, बाढ़, अग्निकाण्ड आदि में हुए नुकसान के लिये मण्डी समिति / मण्डी परिषद का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

11. आवंटन की अन्य आपवादिक व्यवस्थाएं :

विशिष्ट उपयोग के लिए भवनों/सम्पत्तियों के आवंटन में उपरोक्त वर्णित आवंटन प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी, जिसके मार्गदर्शक विनियम निम्नवत् होंगे :—

(1) भारत सरकार, राज्य सरकार के सरकारी व अर्द्ध सरकारी विभाग तथा सार्वजनिक उपक्रमों को उनकी मांग पर, दुकान/गोदाम/अन्य छायादार या खुला स्थान उपलब्ध होने पर बिना नीलामी के, उप निदेशक (प्र0/वि0), सभापति व सचिव की समिति द्वारा आवंटित किया जा सकेगा। इस हेतु उन्हें कोई प्रीमियम की धनराशि नहीं देनी होगी, किन्तु यूजर चार्ज/किराया अग्रिम मासिक रूप से देय होगा। यूजर चार्ज/किराया का निर्धारण समय—समय पर निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 द्वारा किया जाएगा।

(2) बैंक भवन, डाकघर, पशु या मानव चिकित्सालय, जन सेवा केन्द्र, बूथ तथा पुलिस चौकी का आवंटन स्थान/भवन उपलब्ध होने पर सम्बन्धित उप निदेशक (प्र0/वि0), सभापति व सचिव की समिति द्वारा किया जा सकेगा। इसका मासिक यूजर चार्ज/किराया समय—समय पर निदेशक, मण्डी परिषद, उ0प्र0 द्वारा इन विभागों की किराया नीति को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा।

(3) कृषक सेवा केन्द्र :— मांग के अनुसार कृषक सेवा केन्द्र का आवंटन पी0सी0एफ0, यू0पी0 एग्रो, इफको, खुशहाली जैसी संस्थाओं को कृषि निवेश सामग्री (यथा खाद; उर्वरक बीज दवायें उपकरण आदि) तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा किया जाएगा, जिसका मासिक यूजर चार्ज/किराया प्रथम पॉच वर्षो के लिए रू0 5,000.00 (रू0 पॉच हजार) प्रतिमाह होगा तदोपरान्त किराये में 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से यूजर चार्ज में वृद्धि की जाएगी। इस आवंटन की अवधि 11 माह की होगी जो संस्था द्वारा प्रदत्त कृषक सुविधा को देखते हुए सम्बन्धित उप निदेशक (प्र0/वि0), सभापति व सचिव की समिति द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

(4) सुपर मार्केट की दुकानों का आवंटन : सुपर मार्केट की दुकानों के आवंटन में इस नियमावली के सामान्य उपबन्ध यथावश्यक लागू होंगे। परन्तु

(1) इन दुकानों में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों, प्रतिबन्धित वस्तुओं यथा नशे की वस्तुओं, विस्फोटक आदि का व्यवसाय/भण्डारण नहीं किया जाएगा।

(2) इन दुकानों के आवंटन हेतु मण्डी लाइसेन्स होने की बाध्यता नहीं होगी।

(3) आरक्षण के नियम लागू होंगे।

(4) सुपर मार्केट की दुकानों के आवंटन हेतु न्यूनतम प्रीमियम का निर्धारण संबंधित उप निदेशक(निमाण) द्वारा दुकान की निर्माण लागत एवं सर्किल रेट के अनुसार भूमि की कीमत के आधार पर किया जायेगा।

(5) आवंटन 90 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर किया जायेगा। लीजरेण्ट निर्माण लागत का 1.5 प्रतिशत होगा, जो प्रति 30 वर्ष के बाद दोगुना हो जायेगा।

(6) दुकान अन्तरण योग्य होगी जिसके लिए विनियम की सामान्य शर्त के बिन्दु सं0 6 के प्रस्तर 2 व 3 में उल्लिखित व्यवस्था प्रभावी होगी।

12. खुले स्थान का उपयोग :

(1) सार्वजनिक स्थान यथा नीलामी चबूतरे के पार्श्व का भाग, पार्किंग, सड़क, शौचालय, विश्रामगृह आदि किसी भी दशा में आवंटित नहीं किये जायेंगे।

(2) भूमि या खुले स्थान का आवंटन किसी विशिष्ट लाइसेन्सी/व्यक्ति को नहीं किया जाएगा, अपितु इसे सामूहिक प्रयोग के लिये मण्डी समिति द्वारा चिन्हित किया जाएगा तथा ऐसे लाइसेन्सियों के प्रयोग हेतु 11 माह के लिए आरक्षित किया जा सकेगा, जिनके लाइसेन्स बनने के उपरान्त उन्हें दुकान प्राप्त नहीं हो सकी है। उक्त हेतु जिलाधिकारी की संस्तुति पर मण्डी निदेशक की अनुमति ली जानी आवश्यक होगी। इस चिन्हांकित स्थान पर कोई व्यक्ति/लाइसेन्सी अपना कब्जा नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण नहीं किया जायेगा।

(3) जिन लाइसेन्सियों द्वारा उक्त रिक्त भूमि का उपयोग किया जाएगा उनसे चिन्हित भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित व्यवसयिक दर से आगणित कुल मूल्य का 1.5 प्रतिशत अग्रिम रूप से यूजर चार्ज लिया जाएगा।

(4) दुकानें उपलब्ध होने पर रिक्त भूमि पर कार्यरत लाइसेन्सी को नीलामी में भाग लेना अनिवार्य होगा और दुकान आवंटित हो जाने पर उक्त स्थान को रिक्त करना होगा। यदि किसी लाइसेन्सी को दुकान आवंटित नहीं होती है तो रिक्त स्थान के उपयोग की अवधि आवश्यकतानुसार 11–11 माह के लिए बढ़ाये जाने पर समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। ऐसा न किये जाने पर सम्बन्धित का लाइसेन्सी का लाइसेन्स निरस्त करते हुए उक्त स्थान को रिक्त करा लिया जाएगा।

13. कैन्टीन की नीलामी :

(1) नवीन मण्डी स्थल में निर्मित कैण्टीन/खान–पान विकय केन्द्र अथवा कैण्टीन/खान–पान विकय केन्द्र के लिए चिन्हित स्थानों का आवंटन खुली नीलामी द्वारा उच्चतम बोली/दर के आधार पर मण्डी समिति द्वारा किया जाएगा तथा नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली/दर की धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि कैण्टीन संचालन प्रारम्भ किये जाने से पूर्व तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि 06 समान किश्तों में आगामी 06 माह में समिति कोष में जमा की जायेगी। इसकी आवंटन की अवधि 11 माह होगी। "क" एवं "क" विशिष्ट श्रेणी की मण्डियों में कैण्टीन आवंटन के आवेदक को रू0 1.00 लाख की बैंक गारण्टी अथवा सचिव, मण्डी समिति के पक्ष में बन्धक एफ0डी0आर0 प्रतिभूति के रूप में नीलामी से पूर्व समिति कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी। "ब" श्रेणी की मण्डियों में रू0 50,000.00 की बैंक गारण्टी अथवा सचिव, मण्डी समिति के पक्ष में बन्धक एफ0डी0आर0 एवं "स" श्रेणी की मण्डियों के

लिए रू0 25,000.00 की बैंक गारण्टी अथवा सचिव, मण्डी समिति के पक्ष में बन्धक एफ0डी0आर0 प्रस्तुत करनी होगी।

(2) आवंटन की अवधि को किसी भी दशा में बढ़ाया नहीं जाएगा।

(3) आवंटी को मानव प्रयोग वाली गुणवत्ता की सामग्री ही बेचने का अधिकार होगा। मादक व प्रतिबन्धित वस्तुए किसी भी दशा सें नहीं बेची/वितरित/भण्डारित की जायेंगी।

(4) किसी भी प्रकार का स्थाई सिविल निर्माण तथा अतिक्रमण आवंटी द्वारा नहीं किया जाएगा।

(5) खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता की शिकायत होने पर जॉचोपरान्त् आवंटन निरस्त करने का अधिकार मण्डी समिति में निहित होगा।

(6) कैण्टीन नीलामी की धनराशि का भुगतान समय से न किये जाने की दशा में जमा की गयी प्रतिभूति एवं जमा नीलामी की धनराशि समिति के पक्ष में जब्त करते हुए कैण्टीन का आंवटन निरस्त कर पुनः आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी।

14. <u>कठिनाईयों/समस्याओं का निराकरण</u> :

इन विनियमों को लागू करने के सम्बन्ध में कोई कठिनाई अथवा समस्या आने पर समाधान करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, मण्डी परिषद में निहित होगा। इस सम्बन्ध में निदेशक द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(नवीन कुमार कोहली)
सचिव, मण्डी समिति
बन्थरा/ सदस्य

(शिवमंगल सिंह चन्देल)
सचिव, मण्डी समिति
बाराबंकी/ सदस्य

(बलराम यादव)
विधि परामर्शी/
सदस्य

(बृजेश कुमार)
प्रभारी अधिकारी स्टोर/
विशेष आमंत्रित सदस्य

(राजीव श्रीवास्तव)
उप निदेशक
(प्र0/वि0),
वाराणसी/सदस्य

(नरेन्द्र कुमार मलिक)
उप निदेशक (प्र0/वि0),
मेरठ/सदस्य

(डा0 हिमांशु शेखर त्रिपाठी)
उप निदेशक (प्र0/वि0–टी0)
/सदस्य

(यू0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता/
सदस्य

(योगेश चन्द्र यादव)
वित्त नियन्त्रक/
सदस्य

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर निदेशक (प्रशासन)/
अध्यक्ष

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांकः विप0–3/(दु0आ0नियमा0–297)/2019– 934 दिनांक 14.02.2019

समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन),
मण्डी परिषद, उ0प्र0।

विषयः–बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत निर्मित विशिष्ट मण्डी स्थलों के दुकानों के आवंटन एवं संचालन हेतु वर्तमान में प्रभावी आवंटन विनियमावली–2016(यथासंशोधित)के प्राविधानों मे छूट देने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0 के मा0 संचालक मण्डल की 155वीं बैठक दिनांक 24.07.2018 के मद संख्याः 20 पर निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया–

मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के "आवंटन विनियमावली–2016 (द्वितीय संशोधन)–2018"

1. प्रारम्भिकः–संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ–यह विनियमावली, उत्तर प्रदेश की मण्डी समितियों के मण्डी स्थलों/उप मण्डी स्थलों/सुपर मार्केट/कृषि विपणन केन्द्र (ए0एम0एच0)/ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) में निर्मित दुकानों/गोदामों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के"आवंटन सम्बन्धी विनियमावली (द्वितीय संशोधन)–2018" कही जायेगी तथा यह विनियमावली जारी किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–विनियम–11. आवंटन की अन्य आप्वादिक व्यवस्थएं का संशोधन– उक्त विनियमावली के विनियम–11 उप विनियम –11(4)(6) के पश्चात निम्नलिखित उपविनियम बढा दिया जायेगा, अर्थातः–
11(5)– बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों– ललितपुर, झाँसी (भोजल–भरारी) बाँदा, चित्रकूट (कर्वी), हमीरपुर (भरूआसुमेरपुर) महोबा (चरखारी) एवं जालौन (उरई) में निर्मित "विशिष्ट मण्डी स्थल" में निर्मित दुकानों/गोदामों के आवंटन एवं संचालन हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में निम्न समिति होगी–

1. मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2. सम्बधित जिलाधिकारी	सदस्य
3. उप निदेशक (प्रशासन/विपणन), झाँसी सम्भाग	सदस्य/संयोजक
4. सम्बन्धित उप निदेशक (निर्माण), मण्डी परिषद,	सदस्य
5. सम्बन्धित सभापति, मण्डी समिति	सदस्य
6. सम्बन्धित सचिव, मण्डी समिति	सदस्य

उपरोक्त गठित समिति को स्थानीय स्थितियों–परिस्थितियों के अनुसार विशिष्ट मण्डी स्थलों में निर्मित दुकानों/गोदामों के आवंटन हेतु प्रकिया एवं शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तदनुसार ही इन विशिष्ट मण्डी स्थलों में दुकानों/गोदामों का आवंटन पूर्व से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा कराया जायेगा।

मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह निर्णय भी लिया गया है कि मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को निर्णय लेने हेतु मण्डी परिषद द्वारा विस्तृत गाईड

लाइन तैयार कर शासन के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रेषित की जाय। तद्नुसार मा0 संचालक मण्डल की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

मा0 संचालक मण्डल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अस्थानान्तरित मण्डियों को जिला प्रशासन के सहयोग से निर्मित मण्डी स्थलों/उपमण्डी स्थलों में विशेष अभियान चलाकर स्थानान्तरित कराया जाय।"

मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के कम में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत निर्मित विशिष्ट मण्डी स्थलों की परिसम्पत्तियों यथा दुकान एवं गोदाम आदि के आवंटन एवं संचालन के सम्बन्ध में शासन द्वारा अनुमोदित गाईड लाइन अलग से सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रेषित की जा रही है। अतएव निर्देशित किया जाता है कि मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।

14.02.19

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर निदेशक (प्रशासन)

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि–अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मण्डलायुक्त, झाँसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
4– गार्ड पत्रावली।

14.02.19

अपर निदेशक (प्रशासन)